मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४ सन् २०२३

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, २०२३

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, १९९६ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, २०२३ है.

धारा १२ का संशोधन.

२. ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, १९९६ (क्रमांक २२ सन् १९९६) की धारा १२ में, शब्द ''तो वह दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और जहां अपराध जारी रहने वाला हो या आवर्ती हो वहां ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख से ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराधी का ऐसे अपराध में लगे रहना साबित हो, एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.'' के स्थान पर, शब्द ''तो प्राधिकरण जुर्माना अधिरोपित करेगा, जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा, और जहां कृत्य जारी रहने वाला हो या आवर्ती हो, वहां ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम कृत्य की तारीख से प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये तक का हो सकेगा'' स्थापित किये जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अपराध के उपबंध को अपराध मुक्त करने हेतु ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, १९९६ (क्रमांक २२ सन् १९९६) की धारा १२ को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
दिनांक १ मार्च, २०२३

ओमप्रकाश सखलेचा
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, १९९६ (क्रमांक २२ सन् १९९६) से उद्धरण.

१२ कोई भी व्यक्ति जो—

(क) व्यापार मेला क्षेत्र के भीतर कोई अप्राधिकृत संनिर्माण करता है; या

(ख) व्यापार मेला क्षेत्र के भीतर अप्राधिकृत रूप से किसी स्थान को शौचालय, मूत्रालय या कूड़ा-करकट जमा करने के रूप में प्रयोग करता है; या

(ग) प्राधिकरण से अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त किए बिना मेला क्षेत्र के भीतर कोई वृत्ति, व्यापार या आजीविका करता है या ऐसी अनुज्ञप्ति की शर्तों को भंग करता है; या

(घ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लंघन करता है; या

(ङ) इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्वक् लिखित में जारी किए गए किसी आदेश या निर्देशों का उल्लंघन करता है;

"तो वह दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और जहां अपराध जारी रहने वाला हो या आवर्ती हो वहां ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख से ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराधी का ऐसे अपराध में लगे रहना साबित हो, एक सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा."

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.